वित्तीय समावेशन जागरूकता शृंखला अंक : 3 दिनांक 4 सितंबर 2014

रुपे कार्ड और इसके फायदे

रुपे कार्ड क्या है? रुपे कार्ड में किस तरह का बीमा कवर उपलब्ध है?

रुपे कार्ड एनपीसीएल द्वारा जारी किया गया आंतरिक डेबिट कार्ड है। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है, जिसका अपना डेबिट कार्ड है।

रुपे कार्ड में दुर्घटनावश मृत्यु एवं स्थायी अपंगता बीमा के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज निहित होता है। यह सेवा एचडीएफसी एर्गो नामक बीमा कंपनी देती है।

अपने रुपे डेबिट कार्ड पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर हासिल करने के योग्य होने की क्या शर्तें हैं?

दुर्घटनावश मृत्यु एवं / या स्थायी अपंगता के दावे का भुगतान तभी किया जाएगा, जब रुपे कार्ड धारक दुर्घटनावश मृत्यु / स्थायी अपंगता की घटना की तारीख से 45 दिन पहले किसी व्यापारी प्रतिष्ठान के विक्रय केन्द्र या एटीएम या माइक्रो एटीएम या ई-कॉमर्स लेनदेन के जरिये कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय खरीदारी कर चुका हो। यूको बैंक के जरिये या अन्य किसी बैंक अथवा प्रतिष्ठान के विक्रय केन्द्र के जरिये लेनदेन पूरा करके भी बीमा कार्यक्रम के फायदे लेने की योग्यता हासिल की जा सकती है।

व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी लेने के लिए क्या उम्र की भी कोई सीमा है?

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष के बीच की उम्र के सभी लोगों के लिए है। इस बात पर ध्यान दें कि 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग इसके लिए योग्य नहीं होंगे। जन्म तिथि के आसपास होने पर किसी की उम्र कुछ कम या ज्यादा होने की स्थिति में उसे योग्य मान लिया जाएगा।

16.08.2014 से पहले जारी रुपे कार्ड पर बीमा सुविधा उपलब्ध है या नहीं?

16.08.2014 से पहले या उसके बाद जारी हर रुपे कार्ड पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है।

रुपे कार्ड पर बीमा की किस्त को कौन वहन करेगा?

एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) बीमा की किस्त को वहन करेगा। बैंक या ग्राहक को कोई

किस्त नहीं देनी होगी।
मैं मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ?
ग्राहक शाखाओं अथवा एटीएम के जरिये पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। शाखाओं में आईआरपीएस के जरिये मोबाइल नंबर को दर्ज किया जाता है।
अगर रूपे कार्ड जारी होने के 45 दिनों के भीतर कोई घटना घट जाए, जिससे बीमा का लाभ लेने की योग्यता हासिल करने के लिए 45 दिन पहले लेनदेन करने की शर्त पूरी नहीं हो सके, तब भी क्या बीमा कवर वैध होगा?
हां, अपवाद के रूप में ऐसे मामलों में बीमा कवर वैध होगा। हालांकि, पॉलिसी को जिन्दा रखने के लिए हर माह कम से कम एक लेनदेन करने की सलाह ग्राहक को दी जाती है।
क्या पीएमजेडी योजना के तहत खोले गए खातों में रुपे कार्ड जारी करना अनिवार्य है? रुपे कार्ड को वैयक्तिक कैसे बनाया जा सकता है?
प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हर खाते को रुपे कार्ड जरूर जारी किया जाता है। रुपे कार्ड को वैयक्तिक बनाने के लिए खातेदार को कार्ड देने से पहले कार्ड पर परमानेंट मार्कर से खातेदार का नाम लिख दिया जाता है। ग्राहक को कार्ड देने के बाद उसी दिन अनिवार्य रूप से सीबीएस में उसे दर्ज किया जाता है।